the Roller Flour Millers. This will be a better proposition to realize value addition for the country instead of exporting wheat as such.

10. Schemes of assistance available for market development, publicity, literature, brand promotion, packaging development, quality control, specialized consultancy services for ISO 9000 organization, building and HRD journals etc. with APEDA must be popularized.

11. At each depot and district headquarters, FCI should arrange the display of wheat stocks variety-wise on daily basis to facilitate planning by bulk consumers.

12. Establishment of Silos for bulk storage of wheat and creation of the commodity exchanges by the Government should be considered in order to facilitate domestic and export commitments by the trade.

13. Installation of cleaning equipment and improved handling methods should be introduced for grading of wheat at a reasonable cost at Mandies. Bulk handling of wheat must be introduced at Mandies to cope up with large quantities of wheat during procurement season.

14. Bulk users of wheat must be allowed to buy directly from farmers/contract farming without going through Mandies after paying the necessary mandi charges.

15. Distribution of wheat products like Wheat, Atta, Maida, Suji in the Public Distribution System (PDS) should be resorted to instead of wheat grain alone in two stages. Firstly, the scheme is to be introduced in large cities/towns with population of more than 5 lakhs and then extended to smaller towns as a second stage. This will facilitate enrichment of wheat products with Vitamins and other nutrients for the benefit of the weaker sections.

16. Doordarshan/AIR should encourage Education Programmes to be telecast/broadcast on wheat based foods for the benefit of consumers and help in popularizing wheat consumption in non-wheat growing States.

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम की भण्डारण क्षमता

4088. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या खाद्य मंत्री 18 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 3355 और 3368 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम की कुल कितनी भण्डारण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और अप्रयुक्त भण्डारण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) भण्डारण क्षमता को उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त निगमों के अन्तर्गत कुछ और गोदामों/भाण्डागारों की स्थापना करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और इससे कितनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन होगा ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) पहली मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों/भाण्डागारों की कुल भण्डारण क्षमता और उनके उपयोग की प्रतिशतता निम्नानुसार थी :—

	भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टन में)	उपयोग की प्रतिशतता
भारतीय खाद्य निगम	236.23*	81
केन्द्रीय भण्डारण निगम	65.86	76

*केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर ली गई 23.89 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा यथा अभिस्तावित क्षमता उपयोग के लिए मानदण्ड 75 प्रतिशत है। इसकी तुलना में भारतीय खाद्य निगम में वर्तमान क्षमता उपयोग 81 प्रतिशत है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का कम भण्डारण करने, आयातित सामान की कस्टम बांडिग के संबंध में सरकार की नीति में परिवर्तन कर देने, आदि की वजह से हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय भण्डारण निगम के भाण्डागारों के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। तथापि, केन्द्रीय भण्डारण निगम ने इस कमी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं और इनके फलस्वरूप क्षमता उपयोग, जो 1-3-93 को 67 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था, वह 1-3-4 को बढ़कर 76 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

(ग) और (घ) जी, हां।

भारतीय खाद्य निगम का 1994-95 के दौरान 21 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1.04 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय भण्डारण निगम की 1994-95 के दौरान 14 करोड़ रुपये के परिव्यय से 70,000 मीटरी टन की क्षमता का निर्माण करने की योजना है।